

क्रमांक: प.16(6)गृह-9 / 2017

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

ठिकाना (पंचायती) नं. 1380  
दिनांक 22/5/18  
जयपुर, दिनांक: 15 MAY 2018

### अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिलो आवा सालावास पाईपलाईन ग्राम बोमादडा, जिला पाली के खसरा नम्बर 147/1 रकबा 1.10 बीघा भूमि पर स्थित एस.वी वाल्व स्टेशन जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपष्टित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिलो आवा सालावास पाईपलाईन ग्राम बोमादडा खसरा नम्बर 147/1 रकबा 1.10 बीघा भूमि पर स्थित एस.वी वाल्व स्टेशन को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

### क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	पाली	बोमादडा	147/1	1.10 बीघा भूमि	खसरा नम्बर 147 का शेष भाग खातेदार श्री नरेन्द्र, विष्णु प्रकाश पुत्र गणेश एवं श्रीमति मथुरा देवी पन्नि गणेश की खातेदारी भूमि।	खसरा नम्बर 152 खातेदार श्री ढगलाराम मदनलाल वगैरा भांबी की खातेदारी भूमि।	खसरा नम्बर 147 का शेष भाग खातेदार श्री नरेन्द्र, विष्णु प्रकाश पुत्र गणेश एवं श्रीमति मथुरा देवी पन्नि गणेश की खातेदारी भूमि।	सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़क ग्राम बोमादडा से पुनागर खसरा नम्बर 119/

राज्यपाल की आज्ञा से,

6  
(चेतन देवडा)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर, पाली।
- निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक ..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
- प्रबंधक-परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉलिलो आउवा सालावास पाईपलाईन ग्रमा सालावास तहलूपी जिला जोधपुर।
- उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग